

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल०आर०ए० संख्या 320/2020 जिला टोंक

1. फूँदा पुत्र श्री हरनाथ
2. श्योजी पुत्र श्री हरनाथ
3. सुशीला पत्नि श्री बलवीर
सभी जाति जाट, निवासी अलीमपुरा, तहसील पीपलू जिला टोंक।

—अपीलांटस

बनाम्

1. श्रीमती गोमद धर्मपत्नि श्री हरलाल जाति जाट, निवासी अलीमपुरा, तहसील पीपलू जिला टोंक।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपलू जिला टोंक।
3. भू-अभिलेख निरीक्षक, तहसील पीपलू जिला टोंक।
4. पटवार हल्का काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक।
5. भागचन्द, 6. बलराम, 7. बलवीर पुत्रान श्री कैलाशचंद जाति जाट निवासी अलीमपुरा, तहसील पीपलू जिला टोंक।

—रेस्पोंडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू दिनांक 06.06.2015 जो प्रकरण संख्या 40/2015 बउनवानी गोमद बनाम तहसीलदार में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषक:—श्री गिरीश शर्मा(अपीलांट अभि०)
रेस्पोंडेंट अभिभाषक:—श्री एस०एल०चौधरी
राजकीय अभिभाषक:—श्री आकाश पारीक

निर्णय

दिनांक:—30.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 गोमद धर्मपत्नि हरलाल जाट द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय पीपलू में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०ए० प्रस्तुत कर अपने खातेदारी की भूमियों खसरा नम्बर 28/6, 34/7 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा ग्राम अलीमपुरा तहसील पीपलू बाबत पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2015 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06.06.2015 को ही उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2015 जारी किया। उक्त आदेश लोकअदालत की भावना से जारी किया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है। गोमद द्वारा अपीलाधीन आदेश में रेस्पोंडेंट 2 से 4 को ही पक्षकार बनाया था। वर्तमान अपील निम्न आधारों पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत करना बताया गया है—

1. पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।
2. वर्तमान अपीलांट 1 व 2 द्वारा अपने खसरा नम्बर 28/2 रकबा 18 बीघा भूमि हेतु धारा 131 एल०आर०ए० के तहत एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी पीपलू के संख्या 52/2008 नम्बर से दर्ज करवा रखा है। उक्त प्रकरण 2008 से विचाराधीन है। इसी प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 व अन्य ने पक्षकार बनने हेतु आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

किया था। अपीलांट के खसरा नम्बर 28/2 रकबा 18 बीघा की तरमीम कम क्षेत्रफल के लिये हो रखी है तथा 18 बीघा की जगह 16 बीघा 5 बिस्वा ही बैठ रही है। अपीलांट का मानना है कि उक्त खसरा नम्बर 28/2 का शेष रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि पड़ौसी खसरा नम्बर 28/6 में दर्ज कर दी है तथा खसरा नम्बर 28/6 का रकबा बढ़ा दिया गया है।

3. उक्त धारा 131 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व पत्थरगढ़ी के आदेश गलत है।

4. अपील के अंत में निवेदन किया है कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पीपलू दिनांक 06.06.2015 को निरस्त किया जाये।

अपील के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम एवं 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपीलांट के अनुसार वह व्यथित पक्षकार है उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये। अपील मीमो एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जमाबंदी ग्राम अलीमपुरा संवत् 2071-74 खसरा नम्बर 28/2 से संबंधित नक्शा ट्रेस जारी दिनांक 29.07.2020 तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 52/2008 उपखण्ड अधिकारी पीपलू का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी पीपलू के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या 52/8 में स्वयं रेस्पोंडेंट 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया था। नक्शाट्रेस के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलांट का खसरा नम्बर 28/2 से जुड़ा हुआ खसरा नम्बर 28/6 है। जो कि रेस्पोंडेंट नम्बर 1 का है। अतः पत्थरगढ़ी के प्रकरण में पड़ौसी काश्तकार के रूप में अपीलांट आवश्यक पक्षकार है अतः इन्हे व्यथित पक्षकार की श्रेणी में माना जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2015 बिना उनकी जानकारी के, बिना उन्हें पक्षकार बनाये पारित किया गया था तथा उन्हें सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी दिनांक 19.06.2020 को हुई, जब तहसीलदार द्वारा पत्थरगढ़ी के संबंध में नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात दिनांक 28.07.2020 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 29.07.2020 को नकल प्राप्त की। इसके पश्चात शीघ्र अपील प्रस्तुत कर दी गयी। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 04.08.2020 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। चूंकि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2015 में पक्षकार नहीं बनाया गया था। अतः उन्हें उक्त आदेश की निश्चित तौर पर जानकारी नहीं रही होगी। जानकारी दिनांक से अपील शीघ्र प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील अंदरमियाद शुमार की जाती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है। देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार उपखण्ड अधिकारी पीपलू के आदेश की पालना यदि नहीं रोकी गयी तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बताया है।

अपील कार्यवाही के दौरान अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 5 की तलबी बंद करने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पोंडेंट वकील द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया तथा उक्त रेस्पोंडेंट की तलबी बंद की गयी।

बहस उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गई। वकील अपीलांट ने बताया कि फूँदा एवं सोजी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 131 एल आर एक्ट का उपखण्ड अधिकारी पीपलू के यहां प्रस्तुत किया हुआ है। उनकी खातेदारी के खेत 28/2 ग्राम अलीमपुरा का रकबा राजस्व जमाबंदी में 18 बीघा है। मगर तरमीम में 16 बीघा 5 बिस्वा ही है तथा कम पड़ा रकबा 28/5 में ही मिला दिया गया है जो कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 के नाम पर दर्ज है। रेस्पोंडेंट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही में पक्षकार बनने के लिये आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। उसके विरुद्ध हमने राजस्व मण्डल में निगरानी दर्ज करवायी थी जो मण्डल द्वारा हमारी खारिज कर दी गयी। अपीलाधीन प्रकरण में रेस्पोंडेंट द्वारा तहसीलदार को पक्षकार बनाकर पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर दिनांक 06.06.2015 को निर्णय कर दिया गया। हमें पक्षकार नहीं बनाया गया। स्वच्छ हाथों से वे न्यायालय में नहीं पहुंचे। धारा 131 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र हमारा अभी भी पैडिंग है। अपील स्वीकार किया जायें।

जवाब में वकील रेस्पोंडेंट ने बताया कि हम पड़ौसी खातेदारी है। आदेश लोकअदालत की भावना से दिया गया था। जिसकी अपील नहीं होती है। अपील मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई न्यायालय स्टे नहीं होने पर ही पत्थरगढ़ी आदेश की पालना के लिए कहा था। 28/2 का पड़ौसी काश्तकार सिर्फ 28/6 वाला है। अन्य तरफ सड़क अथवा रास्ता है। 28/6 का अकेला खातेदार गोमद है सिर्फ उसे ही खातेदार बनाया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में कोई दम नहीं है। पत्थरगढ़ी की पालना दिनांक 28.06.2020 को हो चुकी है।

रिब्यूटल में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि चारों प्रार्थना पत्रों को समेकित कर मुझे नोटिस दिया गया था। साथ ही आदेश 1 नियम 10 में रेस्पोंडेंट ने संयुक्त प्रार्थना पत्र दिया था। निगरानी में भी पक्षकार थे। लोकअदालत ने भी मुझे पक्षकार नहीं बनाया।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का, बहस बिन्दुओं का अवलोकन किया गया। नक्शाट्रेस ग्राम अलीमपुरा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.07.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 28/2 रेस्पोंडेंट के खसरा नम्बर 28/6 से जुड़ा हुआ है तथा रेस्पोंडेंट गोमद ने पत्थरगढ़ी प्रकरण 40/15 में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। यह पाया गया है। हालांकि उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण लोकअदालत की भावना से करवाना जाहिर किया है। मगर यह प्रक्रियागत व्यवस्था है कि पत्थरगढ़ी के प्रकरण में ऐसे सभी काश्तकारों को आवश्यक रूप में पक्षकार बनाया जायेगा, जो सभी पत्थरगढ़ी वाले खेत से जुड़े हुए खसरा नम्बरों के काश्तकार हों। प्रकरण संख्या 40/15 में उक्त मेण्डेड की पालना नहीं की गई है। इसके अलावा भी पूर्व में अन्य प्रकरण धारा 131 एल आर एक्ट जो कि अपीलांट द्वारा दायर किया गया था में स्वयं रेस्पोंडेंट द्वारा पक्षकार बनने हेतु आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र लगाया गया था। जो न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया गया था। ऐसी अवस्था में तथ्य छुपाकर रेस्पोंडेंट द्वारा प्रकरण संख्या 40/15 में पत्थरगढ़ी बाबत आदेश प्राप्त किया है। जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। रेस्पोंडेंट द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश में खसरा नम्बर 28/5, 28/6, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/9 बाबत आदेश प्राप्त किया था। अपीलांट के खसरा नम्बर 28/2 से मात्र रेस्पोंडेंट का खसरा नम्बर 28/6 जुड़ा हुआ है। शेष खसरा नम्बर 28/2 से

जुड़े हुये नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेंट के खसरा नम्बर 28/6 तक ही अपीलांट का आक्षेप या उजर उचित जान पड़ता है। अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीपलूं दिनांक 06.06.2015 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 40/2015 को रेस्पोंडेंट के खसरा नम्बर 28/6 की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुना गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर